

27.6.16 पत्रावली कोर्ट के माध्यम से प्रेषित
वादीगण दुर्लभा पत्र में आगे कोई कार्यवाई
नहीं चाहते हैं अतः पत्रावली खारिज
की जाती है

पत्रावली पेशाले शुमार होकार
जम्बर से काम है।

(उम्मेद सिंह राजावत)
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं
पब्लिक सहायक कलेक्टर, भीलवाड़ा

कार्यवाही नहीं
करते
Am

Handwritten signature